रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258001
CG-DL-E-17102024-258001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली बृहस्पतिवार , अक्तूबर 17, 2024/आश्विन 25, 1946
No. 592] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ ASHVINA 25, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 648(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 के पैरा 9 के उप पैरा (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"जिस शत्रु संपत्ति का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ रुपए से कम है तथा शहरी क्षेत्र में पाँच करोड़ रुपए से कम है, अभिरक्षक पहले अधिभोगी को खरीद का प्रस्ताव करेगा और यदि अधिभोगी खरीद के प्रस्ताव से इंकार करता है, तो शत्रु संपत्ति का निपटान खंड (ख), खंड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा"

व्याख्याः- इस खंड के उद्देश्य के लिए,-

i. "ग्रामीण क्षेत्र" से आशय किसी राज्य के भीतर वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के तहत गठित या स्थापित किसी शहरी निकाय या छावनी बोर्ड द्वारा शामिल किए गए क्षेत्रों को छोड़कर किसी क्षेत्र से है

ii. "शहरी क्षेत्र" से आशय नगर निगम या नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे केंद्र सरकार जनसंख्या, उद्योगों का संकेंद्रण, क्षेत्र की उचित योजना तथा अन्य प्रासंगिक कारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित कर सकती है।"

[फा. सं. 38/15/2024-ईपी]

अनंत किशोर सरन, संयुक्त सचिव (एफएफआर)

नोटः- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 21 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 258(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याओं सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 8 मार्च, 2019 और सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 17 नवंबर, 2021 और सा.का.नि. 200(अ) दिनांक 17 मार्च, 2023, सा.का.नि. 532 (अ) दिनांक 24 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 739(अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Guidelines for the Disposal of Enemy Property Order, 2018, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Guidelines for the Disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Guidelines for the Disposal of Enemy Property Order, 2018, in paragraph 9, in sub-paragraph (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

" (a) valued below rupees one crore in rural area and valued below rupees five crore in urban area, the Custodian shall offer of purchase to the occupant first and if the occupant refuses the offer of purchase, then enemy property shall be disposed of in accordance with the procedure specified in clauses (b), (c) and (d):

Explanation:- For the purposes of this clause,-

i. "rural area" means any area in a State except those areas covered by any urban local body or a Cantonment Board established or constituted under any law for the time being in force;

ii. "urban area" means any area within the limits of a municipal corporation or municipality as the Central Government may, having regard to the population, concentration of industries, need for proper planning of the area and other relevant factors, by general or special order, declare to be an urban area".

[F. No. 38/15/2024-EP]

ANANT KISHORE SARAN, Jt. Secy. (FFR)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.258(E), dated the 21st March, 2018 and subsequently amended, *vide* notification numbers G.S.R.201(E) dated the 8th March, 2019, G.S.R. 826(E) dated the 17th November, 2021, G.S.R.200(E) dated the 17th March, 2023, G.S.R.532(E) dated 24th July, 2023 and G.S.R. 739(E) dated the 13th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.17 16:01:45 +05'30'